

15/03/2020

LL.B. IV Sem

Arbitration, Conciliation  
and Alternative Disputes  
Resolution

LL.B. IV Sem

MANEESHA SHARMA  
Law Faculty  
N.A.S. P.G. College  
Meerut

प्रश्न 3  
उत्तर

एक मध्यस्थ का आदेश कब समाप्त हो सकता है।  
एक मध्यस्थ का आदेश कब समाप्त हो जाता है? धारा 14 की उपधारा (1) के खण्ड (क) तथा (ख) के अनुसार निम्नलिखित कानूनी आधारों पर एक मध्यस्थ का आदेश समाप्त हो जाता है।

1.

धारा 14 (1) क के अनुसार जब मध्यस्थ विधित या लघुपत्र अपने कार्यों को करने में असमर्थ हो जाता है या किसी अन्य कारणवश अत्यधिक विलम्ब के बिना कार्य करने से सफल रहता है। दूसरी शर्तों में यदि कोई मध्यस्थ अपनी बीमारी या पागल्पन या किसी अन्य कानूनी असमर्थता के मन्तवित मध्यस्थ के रूप में कार्य करने में असमर्थ हो जाता है तो उसी परिस्थिति में उसका मध्यस्थ के रूप में अधिकार समाप्त हो जाता है।

2.

धारा 14 (1) ख के अनुसार जब मध्यस्थ अपने पद से स्वयं को हटा लेता है या पक्षकार उसके आदेश को समाप्त करने के लिए सहमत हो जाते हैं तो भी उसकी अधिकार तथा उसका आदेश समाप्त हो जायेगा।

3.

धारा 14 की उपधारा (2) के अनुसार यदि धारा (1) (क) में विधारित आधार के सम्बन्ध में कोई विवाद मारिहत्व में आता है तो मध्यस्थ का आदेश समाप्त हो जायेगा। परन्तु न्यायालय एक पक्षकार उस विवाद को विधारित करने हेतु न्यायालय में आवदन कर सकता है तथा न्यायालय उसके अनुरूप मध्यस्थ की एक एक राय। परन्तु पक्षकारों को यह अधिकार है कि वे इस सम्बन्ध में सम्झौता करार कर सकेंगे।

4.

धारा 14 की उपधारा (3) उपधारा (2) में उत्पन्न विवाद को हल करने तथा मध्यस्थ के पक्षकारों को हल पेश करती है। उपधारा (3) के अनुसार यदि मध्यस्थ स्वयं को मध्यस्थ कार्यवाही से पृथक् कर लेता है या पक्षकार मध्यस्थ के आदेश को समाप्त

कारण पर सहमत हो जाते हैं इसका अर्थ धारा 12(3) या 14(4) में वर्णित माध्यमों की वैधता की स्वीकृति से नहीं लगाया जाना चाहिए। धारा 14 संयुक्त राष्ट्र संघ आयोग की आदर्श विधि के अनु 14 के अनुरूप है। इस धारा के अनुसार उन परिस्थितियों में जहाँ मध्यस्थ का आदेश असफल हो जाता है या जहाँ मध्यस्थ के आदेश पर कार्य करना असम्भव हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में मध्यस्थ का आदेश समाप्त हो जाता है तथा मध्यस्थ का आदेश समाप्त हो जाता है तथा मध्यस्थ का अधिकारिता भी समाप्त हो जाती है।

- धारा 15(1) मध्य की अधिकारिता की समाप्ति और मध्यस्थ का प्रतिस्थापना आधारा का प्राविधान करती है।

(क) यह कि कारणवश मध्यस्थ की अधिकारिता को नै सत्य को अपने पद से हटा लिया है।

(ख) पक्षकारों ने मध्यस्थ की अधिकारिता को समाप्त करने का वापस में करार कर लिए हैं।

धारा 15 उपधारा (1) के मन्तव्य पक्षकारों को यह स्वतन्त्रता दी गई है कि वे अपनी सहमति द्वारा ऐसे महम माध्यस्थों को पदमुक्त कर सकते हैं जो किसी कारण वश अपने कार्य को पूरा करने में महम हैं या अपने कार्यों को किसी कारणवश नहीं कर रहे। इस प्रकार धारा 15 की उपधारा (1) पक्षकारों को अपने मध्यस्थों के उाचरण को निर्धारित करने की स्वतन्त्रता को मान्यता देती है।

धारा 15 की उपधारा (2) उस प्रश्न का उत्तर देती है कि एक मध्यस्थ की अधिकारिता समाप्त हो जाने के पश्चात् उसके स्थानापन्न मध्यस्थ की नियुक्ति कैसे की अधिकारिता जाये। यह उपधारा (2) तब मस्तित्व में आती है जब किसी कारण वश मध्यस्थ की अधिकारिता समाप्त हो जाती है।

धारा 15(3) स्थानापन्न मध्यस्थ की नियुक्ति के पश्चात् स्थानापन्न मध्यस्थ द्वारा कार्यवाही के संचालन का प्राविधान करती है। धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसार स्थानापन्न मध्यस्थ को यह विवेकाधिकार प्राप्त है कि चाहे वह मध्यस्थ कार्यवाही का संचालन प्रारम्भिक स्तर से करे या उस स्तर से जहाँ पूर्ववर्ती मध्यस्थ ने मध्यस्थ कार्यवाही का समापन किया था। परन्तु मध्यस्थ के पक्षकार इसके प्रतिकूल भी कारार कर सकते हैं।